सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	बजट 2009-2010 आयोजना-भिन्न	बजट 2009-2010 जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	संशोधित 2009-2010 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2009-2010 जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	बजट 2010-2011 आयोजना-भिन्न	बजट 2010-2011 जोड़
राजस्व		1785.00	238.02	2023.02	1508.76	317.55	1826.31	2389.00	247.40	2636.40
पूंजी		*9.00*	*1.43*	*10.43*	*9.00*	*1.30*	*10.30*	*11.00*	*1.30*	*12.30*
जोड़		**1794.00**	**239.45**	**2033.45**	**1517.76**	**318.85**	**1836.61**	**2400.00**	**248.70**	**2648.70**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	7.04	7.04	...	6.96	6.96	...	6.54	6.54
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)										
2. ऋण सहायता कार्यक्रम	2851	111.90	...	111.90	99.12	...	99.12	172.75	...	172.75
3. गुणवत्ता प्रौद्योगिकी सहायता संस्था तथा कार्यक्रम	2851	256.00	8.00	264.00	243.64	8.00	251.64	328.50	5.00	333.50
4. अन्य स्कीमें	2851	11.00	1.95	12.95	6.39	1.30	7.69	50.25	1.00	51.25
5. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	2851	28.40	...	28.40	47.05	...	47.05	41.60	...	41.60
6. असंगठित/औपचारिक क्षेत्र में उद्यम संबंधी राष्ट्रीय आयोग	2851	1.10	...	1.10	1.11	...	1.11	...	...	...
7. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2851	4.50	...	4.50	0.45	...	0.45	7.15	...	7.15
8. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2851	...	16.40	16.40	...	18.78	18.78	...	15.00	15.00
9. संवर्धनात्मक सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम	2851	46.00	61.80	107.80	47.21	73.58	120.79	48.35	68.00	116.35
10. एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम और एमएसएमई वृद्धि ध्रुव	2851	36.00	...	36.00	25.56	...	25.56	50.50	...	50.50
11. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	2851	10.50	...	10.50	6.55	...	6.55	9.50	...	9.50
12. डाटाबेस को अद्यतन करना	2851	2.50	...	2.50	3.20	...	3.20	5.89	...	5.89
13. लघु उद्योगों की सांख्यिकी का संग्रहण	3601	16.10	...	16.10	12.93	...	12.93	10.16	...	10.16
	3602	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.35	...	0.35
	जोड़	*16.60*	...	*16.60*	*13.43*	...	*13.43*	*10.51*	...	*10.51*
14. असंगठित क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय निधि	2851	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
15. कार्यालय आवास का निर्माण-ग्राम और लघु उद्योग	4059	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	7.50	...	7.50
16. एमएसएमई के लिए विशेष योजना	2851	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़ - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई)		**531.00**	**88.15**	**619.15**	**499.21**	**101.66**	**600.87**	**733.50**	**89.00**	**822.50**
खादी एवं ग्राम उद्योग										
17. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग										
17.01 खादी उद्योग	2851	114.30	100.81	215.11	114.30	164.04	278.34	262.80	110.00	372.80
17.02 अन्य ग्राम उद्योग	2851	37.80	...	37.80	37.80	...	37.80	51.30	...	51.30
	जोड़	*152.10*	*100.81*	*252.91*	*152.10*	*164.04*	*316.14*	*314.10*	*110.00*	*424.10*
18. ब्याज सब्सिडियां										
18.01 खादी उद्योग	2851	4.95	22.00	26.95	4.95	22.00	26.95	4.95	22.00	26.95
18.02 अन्य ग्रामोद्योग	2851	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86	4.50	5.36	9.86
	जोड़	*9.45*	*27.36*	*36.81*	*9.45*	*27.36*	*36.81*	*9.45*	*27.36*	*36.81*
19. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान	2851	3.00	0.72	3.72	3.00	0.72	3.72	6.00	0.50	6.50
20. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	2851	14.95	...	14.95	14.95	...	14.95	18.00	...	18.00
21. खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा वृद्धि की स्कीम	2851	7.95	...	7.95	7.95	...	7.95	18.90	...	18.90
22. मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अधारसंरचना का सुदृढ़ीकरण और आधारसंरचना के विपणन के लिए सहायता	2851	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90	4.90	...	4.90

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
23. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	738.75	...	738.75	539.03	...	539.03	815.25	...	815.25
24. परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि हेतु योजना	2851	14.90	...	14.90	10.00	...	10.00	14.90	...	14.90
25. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	2851	86.40	...	86.40	86.40	...	86.40	172.80	...	172.80
26. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण										
26.01 खादी उद्योग	6851	...	1.13	1.13	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
जोड़-खादी और ग्रामोद्योग		**1032.40**	**130.02**	**1162.42**	**827.78**	**193.12**	**1020.90**	**1374.30**	**138.86**	**1513.16**
27. *कॉयर उद्योग*										
27.01 कॉयर बोर्ड	2851	32.30	13.94	46.24	27.30	16.81	44.11	33.30	14.00	47.30
	6851	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30
27.02 कॉयर उद्योगों का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन	2851	18.90	...	18.90	11.70	...	11.70	18.90	...	18.90
जोड़ - कॉयर उद्योग		**51.20**	**14.24**	**65.44**	**39.00**	**17.11**	**56.11**	**52.20**	**14.30**	**66.50**
28. *पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान*										
28.01 अन्य योजनाएं	2552	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	7.00	...	7.00
28.02 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2552	0.50	...	0.50	0.05	...	0.05	0.60	...	0.60
28.03 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	2552	2.50	...	2.50	2.95	...	2.95	3.40	...	3.40
28.04 विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2552	53.50	...	53.50	48.85	...	48.85	70.00	...	70.00
	4552	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	जोड़	*54.00*	...	*54.00*	*49.35*	...	*49.35*	*70.50*	...	*70.50*
28.05 खादी और ग्रामोद्योग	2552	113.60	...	113.60	28.25	...	28.25	60.95	...	60.95
	6552	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
	जोड़	*116.60*	...	*116.60*	*31.25*	...	*31.25*	*63.95*	...	*63.95*
28.06 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2552	...	...	...	63.17	...	63.17	90.75	...	90.75
28.07 कॉयर उद्योग	2552	3.80	...	3.80	3.00	...	3.00	3.80	...	3.80
	जोड़	*179.40*	...	*179.40*	*151.77*	...	*151.77*	*240.00*	...	*240.00*
कुल जोड़		***1794.00***	***239.45***	***2033.45***	***1517.76***	***318.85***	***1836.61***	***2400.00***	***248.70***	***2648.70***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	12851	...	70.00	70.00	...	125.00	125.00	...	150.00	150.00
जोड़		**...**	**70.00**	**70.00**	**...**	**125.00**	**125.00**	**...**	**150.00**	**150.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. ग्राम और लघु उद्योग	12851	1614.60	70.00	1684.60	1365.99	125.00	1490.99	2160.00	150.00	2310.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	179.40	...	179.40	151.77	...	151.77	240.00	...	240.00
जोड़		**1794.00**	**70.00**	**1864.00**	**1517.76**	**125.00**	**1642.76**	**2400.00**	**150.00**	**2550.00**

1. **सचिवालय की आर्थिक सेवाएं**: इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **ऋण सहायता कार्यक्रम**: इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक ऋण गारंटी निधि योजना प्रचालनरत है। इस योजना के जरिए, सदस्य देनदार संस्थाओं द्वारा नए और साथ ही मौजूद लघु उद्यमों को 100लाख रुपए तक के ऋणों पर, बिना किसी संपार्श्विक के, ऋण सुविधा देने के लिए गारंटी कवर दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पोर्टफोलियो जोखिम निधि के एक अन्य संघटक में, भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के लिए निधियां प्रदान करती है, जिसका प्रयोग एमएफआई/एनजीओ से प्राप्त ऋण राशि की जमानत अपेक्षा के लिए किया जाता है। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए व्यापार संबंधी उद्यमकारिता सहायता और विकास योजना भी शामिल है जिसके तहत कृषि-भिन्न कार्यकलापों में उद्यमकारिता कौशलों का विकास करके महिलाओं को आर्थिक सशक्तता देने के लिए सहायता दी जाती है।

3. **प्रौद्योगिकी सहायता संस्थानों की गुणवत्ता और कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अधीन, औजार कक्ष और तकनीकी संस्थान कवर किए जाते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम औजार कक्ष कोलकाता, लुधियाना, अहमदाबाद, औरंगाबाद, इन्दौर, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, जालंधर और नागौर में स्थित हैं। औजार, मोल्ड, जिग एंव फिक्चर, पुर्जे आदि डिज़ाईन और उत्पादित करके सू.ल.म.उद्यमों को तकनीकी उन्नयन और अच्छी गुणवत्ता वाली टूलिंग सहायता हेतु उन्हें भारत-जर्मन एवं भारत-डेनिश के सहयोग से आंरभ किया गया था। ये कक्ष औजार और डाई मैकरों को प्रशिक्षण और परामर्श भी प्रदान करते हैं। सू.ल.म.उ. प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, रामनगर, फिरोजाबाद, मेरठ, आगरा, कन्नौज, मुंबई एवं हैदराबाद में स्थित हैं। ये उत्पाद विशेष की समस्यों की देखभाल करने तथा तकनीकी सेवा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी विकास एवं उन्नयन करने, जनशक्ति

सं.64/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

का विकास और विशेष उत्पादन समूह जैसे फाउंड्री और फोर्जिंग, इलैक्ट्रानिक, सुगंध तथा सुरस, स्पोर्ट जूते, विद्युत मापन उपकरण और ग्लास में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आगरा और चेन्नई स्थित सू.ल.म.उ. के प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान) निर्यात संवर्धन हेतु फुटवियर डिजाइन विकसित करता है, और फुटवियर उद्योग में लगे लोगों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। इस शीर्ष में राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के अधीन शामिल ऋण संबंद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम, आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति योजना और कई अन्य योजनाएं भी शामिल हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों में वर्टिकल शाफ्ट ब्रिकक्लिन (वीएसबीके) प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी मिशन आदि शामिल हैं।

4. **अन्य स्कीमेः** सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान की योजना के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए विख्यात स्वतंत्र एजेंसियों को अनुदान दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी अंतर्वेयन तथा/अथवा भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण तथा निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा विदेश स्थित उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संवर्धित करना है।

'प्रशिक्षण संस्थान' की स्कीम के अधीन तीन राष्ट्रीय उद्यमकारिता विकास प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात राष्ट्रीय उद्यमकारिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा और भारतीय उद्यमकारिता संस्थान, गुवाहाटी को अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा और नए प्रशिक्षण संस्थानों को उद्यमकारिता विकास संबंधी प्रयासों को सहायता के लिए समतुल्य (मैचिंग) अनुदान भी दिया जाता है। प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण देने के निमित्त भी सहायता दी जाती है।

5. **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.**ः मंत्रालय के यह निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के हित, और विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और सहायता सेवाओं के अधीन एकीकृत सहायता सेवाएं उपलब्ध कराकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कार्य करता आ रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. दो योजनागत स्कीमें नामतः 'विपणन सहायता स्कीम' और 'निष्पादन और ऋण दर निर्धारण स्कीम' कार्यान्वित कर रहा है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विपणन सहायता स्कीम के अधीन सूक्ष्म, लघु उद्यमों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों के विपणन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम के अधीन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सूचीबद्ध प्रत्यायन ऋण रेटिंग एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी द्वारा निष्पादन के साथ-साथ ऋण योग्यता हेतु स्वयं की रेटिंग कराने के लिए 75 प्रतिशत तक की सीमा में (अधिकतम 40,000/-रूपए तक) आर्थिक सहायता (सब्सिडी) उपलब्ध कराई जाती है।

7. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजनाः** 'राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना' के अन्तर्गत प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट नोडल एजेन्सियों अर्थात उद्यमी मित्रों को पथप्रदर्शन सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि भावी उद्यमियों को उद्यमों की स्थापना करने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी अड़चनों से निपटने और विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने में उनको मार्गदर्शन और सुविधाएं प्रदान की जा सके।

8. **विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.)**ः विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय देश में लघु उद्योगों के संवर्धन एंव विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने, समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए एक केन्द्रीय निकाय है। विकास आयुक्त केन्द्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों और लघु उद्योगों के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है। यह प्रावधान विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) मुख्यालय के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

9. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रमः** विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) का कार्यालय विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) कार्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। सू.ल.म.उ. परीक्षण केन्द्र, सू.ल.म.उ. तथा और सू.ल.म.उ. परीक्षण स्टेशन सू.ल.म.उ.(टीएस) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं। एमडीपी/ईडीपी/कौशल विकास, राष्ट्रीय पुरस्कार, सहायता के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम, लघु तथा मध्यम उद्यमों की उद्यमकारिता और प्रबंध विकास के लिए सहायता, विज्ञापन और प्रचार तथा सीनेट परियोजना इस स्कीम के अधीन अन्य कार्यक्रम हैं। कुछ नए संघटक अर्थात चयनित व्यावसायिक स्कूलों, तकनीकी संस्थानों आदि के माध्यम से नए उद्यमों के लिए बने बनाए पाठ्यक्रमों के संचालन और 1200 उद्यमी क्लब चलाने के लिए पांच चयनित विश्वविद्यालयों/कालेजों को सहायता के लिए एक कार्यक्रम और विकास आयुक्त (सू.ल.म.उ.) के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना संबंधी व्यय इस शीर्ष के अधीन शामिल किए गए हैं।

10. **सू.ल.म.उ. क्लस्टर विकास कार्यक्रम तथा सू.ल.म.उ. वृद्धि ध्रुवः** सू.ल.म.उ. क्लस्टर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के व्यापक विकास के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आधारसंरचना सहायता को भी जोडा गया है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों में बनाए गए उत्पादों को केंद्रीय स्थानों पर प्रदर्शित करने और बेचने हेतु प्रदर्शनी केंद्रों की स्थापना के लिए महिला उद्यमी संघों को सहायता प्रदान की जाएगी।

11. **विपणन विकास सहायता कार्यक्रमः** अंतर्राष्ट्रीय खुदरा बाजार में उत्पादों के सफलतापूर्वक विपणन के लिए बार-कोडिंग एक अनिवार्य आवश्यकता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पादों की बार-कोडिंग को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए बारकोडिंग हेतु एकबारगी पंजीकरण शुल्क के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की एक स्कीम चल रही है। मध्यम और लघु उद्यमों को बार-कोडिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जी. एस. आई. इंडिया द्वारा लगाए जाने वाले वार्षिक शुल्क (आवर्ती) का 75% भाग भी प्रथम तीन वर्षों तक सब्सिडी के तौर पर प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पेटेंट प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु वित्तीय सहायता शामिल है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी हेतु भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निर्यातों की पैकेजिंग में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

12. **डाटा बेस का उन्नयनः** केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वार्षिक सर्वेक्षण और चार वर्षीय जनगणना के माध्यम से इकाइयों की संख्या, रोजगार, विकास की दर, सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा/उत्पादन का मूल्य, रूग्णता/बंदी की सीमा तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के निर्यातों से संबंधित सांख्यिकी और सूचना एकत्रित करना। इस स्कीम के अधीन महिलाओं के स्वामित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों से संबंधित आंकडे भी एकत्रित किए जाएंगे।

15. **कार्यालय आवास का निर्माण** - ग्रामीण और लघु उद्योगः यह क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय आवास के निर्माण की व्यवस्था करता है।

16. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रधान मंत्री कार्य बल द्वारा अनुशंसित विशेष योजनाः** श्री टी.के.ए. नैयर, अध्यक्ष द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कार्य बल की रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री को जनवरी 2010 में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास और संवर्धन के लिए योजना तैयार करती है। यह एक नियत समय में संस्थागत परिवर्तनों और कार्यक्रमों को ब्यौरेवार बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सू.म.ल.उद्यमों को राहत और प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ विशेषकर हालिया आर्थिक मंदी के परिणामों के पश्चात्, तत्काल कार्रवाई हेतु कार्यसूची की सिफारिश करती है। इसके अतिरिक्त, देश में उद्यमकारिता के लिए एक उचित माहौल के सृजन हेतु और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों की वृद्धि के लिए उपयुक्त कानूनी और विनियामक ढांचा बनाने का सुझाव देता है। इस उप-क्षेत्र को विशेष देनदारी के

लिए सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष निधि का गठन करना, सार्वजनिक खरीद नीति, जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों से अपनी वार्षिक खरीद की मात्रा का कम से कम 20 प्रतिशत का लक्ष्य, निर्धारित समय अवधि में सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हासिल करना अनिवार्य करता है। पांच वर्ष की अवधि में लगभग 5500 करोड़ रुपए से भी अदिक अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय अलग से निर्धारित करना; मौजूदा अवसंरना में विशिष्ट रूप से लक्ष्य अक्षमता और संस्थागत व्यवस्था कृतिक बल की कुछ सिफारिशों में है।

17. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग**: खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 61) द्वारा स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), एक सांविधिक संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने और उसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदढ करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास में संलग्न है। केवीआईसी की पहचान न्यूनतम प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश पर सतत ग्रामीण गैर-कृषि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विकेंद्रित क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन के रूप में की गई है। केवीआईसी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्व-रोजगार सृजित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ग्रामीण औद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, विपणन आदि जैसे कार्यकलाप संचालित करता है और इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर सृजित करने की प्रक्रिया में पात्र खादी/ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग क्षेत्र में सरकार द्वारा शुरु की गई विबिन्न स्कीमों को क्रियान्वित करता है जिसमें अध्यतन रोजगार सृजन कार्यक्रम अर्थात् राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों एवं कार्यान्वयनकर्ता बैंकों के सहयोग से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।

17.01 **खादी उद्योग** : खादी अनुदान के तहत बजटीय आवंटन, खादी का संवर्धन और विकास अन्य बातों के साथ-साथ बेकार हो चुके चरखों और करघों के स्थानापत्र द्वारा केवीआई संस्थाओं के पुनरुजीवन हेतु वित्तीय सहायता, तैयार परिधानों में खादी कपड़ों को शामिल करके मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने हेतु योजना, उत्पादन आधारित एमडीए, 4% की कम ब्याज दर पर खादी संस्थाओं द्वारा अवधिक और कार्यशील ऋणों पर ब्याज सब्सिडी, नए उत्पादों के विकास के लिए पीआरओडीआईपी के लिए आवंटन, खादी उत्पादों के लिए डिजाइन और बेहतर पैकेजिंग और खादी कारीगरों आदि का कल्याण जिसमें खादी कारीगरों जनश्री बीमा योजना भी शामिल है, के लिए है।

17.02 **अन्य ग्रामोद्योग**: इस उप-शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान प्रौद्योगिकी उन्नयन द्वारा ग्रामोद्योग का विकास, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता सुकर बनाने द्वारा उन्नत बाजार की सुलभता, बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण नए उत्पादों के विकास के लिए पीआरओडीआईपी स्कीम के लिए आवंटन, VI उत्पादों के लिए डिजाइन और बेहतर पैकेजिंग पोलीवस्त्र के उत्पादन पर आधारित पोलीवस्त्र/एमडीए की खुदरा बिक्री पर छूट, केवीआईसी/केवीआईबी की मौजूदा संस्थानों और केवीआईवी/केवीआईबी के संबद्ध संस्थाओं का उन्नयन, साझा सुविधा केन्द्र की स्थापना द्वारा ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र स्कीम के तहत क्लस्टरों का विकास के लिए है।

18. **ब्याज सब्सिडियां**: इस उप-शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आवंटन खादी संस्थाओं को आगे ऋण देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के संवर्धन के लिए केवीआईसी को पहले दिए गए सरकारी ऋणों पर प्रोदभूत ब्याज के एवज में आर्थिक सहायता देने के लिए है। यह राशि बही अंतरण है चूंकि यह खादी ग्रामोद्योग आयोग का बकाया खादी ऋण ब्याज के लिए समायोजित किया जाता है।

19. **ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए महात्मा गांधी संस्थान**: खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थान नामतः "ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना, जमनाला बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान का पुनरुद्धार करके आईआईटी दिल्ली के सहयोग से वार्धा, महाराष्ट्र में की गई है। एमजीआईआरआई के मुख्य कार्य अनुसंधान प्रोत्साहित करने द्वारा ग्रामोद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप का संवर्धन करना, आर एंड डी का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करना है।

20. **खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम**: कातने वालों और बुनकरों को सुसाध्य और सशक्त बनाने, ताकि वे विकास, आय सृजन और बेहतर कार्य माहौल के लिए मार्ग तैयार कर सकें और अपनी कताई और बुनाई का काम सक्षमता से करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मई 2008 में खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम शुरु की गई है।

21. **खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि स्कीम**: खादी उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी अधिक बाजार चालित, लाभकारी बनाने के लिए बेकार और पुरानी मशीनरी और उपस्करों की मरम्मत और/या मौजूदा प्रचालनात्मक मशीनरी और उपस्करों का पुनरुद्धार करने के लिए मंत्रालय ने जुलाई 2008 से केवीआईसी द्वारा खादी उद्योग और कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए यह स्कीम शुरु की है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति में ए+और ए श्रेणी की 200 खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनमें से 50 संस्था ऐसी होंगी जिनका प्रबंधन विशेष रूप से अ.जा./अ.ज.जा. संवर्ग के लाभार्थियों द्वारा किया जाता हो। जिसकी कुल लागत 84 करोड़ रुपए है जिसमें 71.14 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में 2008-09 से 2011-12 के बीच सरकार के बजटीय स्रोतों से केवीआईसी को दी जाएगी।

22. **मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अधारसंरचना का सुदृढ़ीकरण और आधारसंरचना के विपणन के लिए सहायता**: यह स्कीम, मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2009 में 30 चुनिंदा खादी बिक्री केन्द्रों का पुनरुद्धार करने और चार वर्षों की अवधि में मौजूदा 100 चुनिंदा कमजोर संस्थाओं की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए शुरु की गई है।

23. **प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** : यह केंद्रीय क्षेत्र की क्रेडिट लिंकड सब्सिडी स्कीम हैं जिसे 31.03.2008 तक कार्यशील मंत्रालय की 'प्रधानमंत्री रोजगार योजना' और 'ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक' दो पूर्ववर्ती स्कीमों को मिलाकर अगस्त, 2008 में अनुमोदन मिलने के उपरांत शुरू किया गया। यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें सब्सिडी का स्तर पीएमआरवाई और आरईजीपी से अधिक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रथम पीढ़ी उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों के गठन को सहायता प्रदान कर रोजगार अवसर सृजित करना है। स्कीम से अपेक्षा है कि केवीआईसी और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण लाभार्थियों के कवरेज एवं उनकी भागीदारी में बढ़ोतरी हो सकेगी तथा केवीआईसी और राज्य सरकारों के जिला उद्योग केंद्रों द्वारा समन्वित और संचालित किये जाने वाले जांच प्रक्रिया तथा युक्तियुक्त कार्यान्वयन, प्रशिक्षण, मॉनीटरिंग के माध्यम से और अधिक केंद्रित तरीके से कार्य हो सकेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित निधियों का उपयोग प्रशिक्षण, बैकवर्ड-फारवर्ड लिकेंजेस संबंधी लागत को पूरा करने हेतु लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

24. **पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम** : एसएफयूआरटीआई अक्टूबर, 2005 में 5 वर्ष की अवधि के दौरान 100 पारंपरिक उद्योग क्लस्टरों खादी, ग्रामोद्योग एवं कायर का व्यापक विकास करने हेतु पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन का शुभारंभ किया गया। केवीआईसी और कायर बोर्ड स्कीम के लिए नोडल एजेंसियां हैं। क्लस्टर विकास पद्धति के आधार पर खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के संकेद्रित पुनर्सृजन हेतु यह प्रथम व्यापक पहल है। स्कीम संचालन समिति (एसएससी) द्वारा किसी संभावित 'ड्रोपआऊट' की स्थिति में आरक्षित के रुप में अतिरिक्त क्लस्टरों सहित 118 क्लस्टरों (32-खादी, 60- ग्रामोद्योगों,और 26 कायर) का अनुमोदन किया गया है। इन क्लस्टरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध

सं.64/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

कराने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत 17 राष्ट्र स्तरीय संस्थाओं को तकनीकी एजेंसियों के रूप में चिन्हित किया गया है। स्कीम संचालन समिति (एसएससी) द्वारा 96 क्लस्टरों के लिए वार्षिक कार्य योजना और नैदानिक रिपोर्टों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। औजारों, उपकरणों के वितरण तथा सामान्य सुविधा केंद्रों को आरंभ करके 69 केवीआई क्लस्टर (29 खादी और 40 ग्रामोद्योग) आरंभ किए गए है और कार्यशील बनाए गए हैं। 25 कायर क्लस्टरों में पूरक गतिविधियां आरंभ की गई हैं।

25. **खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता)**: आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, एडीबी और केवीआईसी के परामर्श से तैयार किए गए व्यापक खादी सुधार और विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तीन वर्षों की अवधि में एशियाई विकास बैंक से 150 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की विदेशी वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर रहा है। इस सुधार कार्यक्रम से मंत्रालय खादी के वर्धित जीवन वर्धित आयों और रोजगार वर्धित कारीगर कल्याण से केवीआई क्षेत्र को पुनरुज्जीवित करने और सरकारी अनुदानों से केवीआईसी की निर्भरता को कम करके, उसे आत्मनिर्भर करने में समर्थ बनाने का प्रस्ताव करता है। इसके लिए एडीबी और केवीआईसी के बीच हाल ही में 22.12.2009 को आवश्यक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

26. **खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण**: इसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण प्रदान किया जाता है।

27. **कायर उद्योग**

27.01 **कायर बोर्डः** कायर बोर्ड का उद्देश्य वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और आर्थिक अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों; कायर और कायर उत्पादों के निर्यात और घरेलू खपत से संबंधित वास्तविक आंकडों के एकत्रण; नये उत्पादों और डिजाइनों के विकास; निर्यात एवं आंतरिक बिक्री के संवर्धन हेतु प्रचार; भारत और विदेशों में कायर और कायर उत्पादों के विपणन; उत्पादकों और निर्यातकों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोक कर; उत्पादों के विनिर्माण हेतु इकाईयों की स्थापना में सहायता करके; हस्क, कायर फाइबर, कायर यार्न एवं कायर उत्पादकों के बीच सहकारी संस्थानों के संवर्धन; उत्पादकों और विनिर्माताओं आदि के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित कर के देश में कायर उद्योग के विकास का संवर्धन करना है। वर्ष 2010-11 हेतु कायर निर्यात का लक्ष्य 800 करोड रुपये रखा गया है।

26.02 **कायर उद्योग का नवीकरण, आधुनिकीकरण, एवं प्रौद्योगिकी उन्नयनः** स्कीम का उद्देश्य कतिनों और अतिलघु घरेलू क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए कायर उद्योग को विकसित करना है। इस स्कीम के अन्तर्गत पुराने करघों को बदलने और वर्कशेड निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाती है ताकि कामगारों के उत्पादन और अर्जनों में वृद्धि हो सके।

28. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किये गये हैं।

http://indiabudget.nic.in